प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक–एस0टी0 / एन0ओ0सी0 / / 2017–2018 दिनांक 21·2·2018

विषय–डी0पी0एस0, आगरा, ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा को दिल्ली पब्लिक इण्टरनेशनल स्कूल, ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा का नाम परिवर्तित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अध्यक्ष, डी0पी0एस0, आगरा, ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा ने अपने पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि डी0पी0एस0, आगरा, ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा को इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0टी0 / एन0ओ0सी0 / 8952–59 / 2015–16 दिनांक 21.09. 2015 के द्वारा सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। डी0पी0एस0, आगरा, ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा के अध्यक्ष द्वारा अपने विद्यालय डी0पी0एस0, आगरा, ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा के नाम को दिल्ली पब्लिक इण्टरनेशनल स्कूल, ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया है।

मण्डलीय समिति के निर्णय के आधार पर उक्त विद्यालय का नाम डी0पी0एस0, आगरा, ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा से दिल्ली पब्लिक इण्टरनेशनल स्कूल, ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा परिवर्तन किया जाता है।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीय

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

पृ0सं0–एस0टी0 / एन0ओ0सी0 / 9579-86 / 2017–2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मण्डलायुक्त महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेशित।
2– सचिव, (मा0शि0) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ।
3– शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– जिलाधिकारी, आगरा।
5– जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
6– निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7– प्रबन्धक, डी0पी0एस0, आगरा, ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा।
8– गार्डफाइल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक–एस0टी0/एन0ओ0सी0/ /2015–2016 दिनांक 21.09.15

विषय– **डी0पी0एस0, आगरा, ताल सेमरी, देवरी रोड़, आगरा** को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या–2762/15–13–91–4(46)/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 एवं राजाज्ञा संख्या–1916(1)/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 सपठित शिक्षा निदेशक,(मा0) के पत्रांक–सा0(1)/शिविर/एन0ओ0सी0/7153/2009–2010 दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 के आलोक में **डी0पी0एस0, आगरा, ताल सेमरी, देवरी रोड़, आगरा** को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार का निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नही है।

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्डी एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9– उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा–105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

10– उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(पृ0टी0ओ0–2)

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय

ह०/xxxx

(प्रदीप भटनागर)
मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,
आगरा मण्डल, आगरा।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

पृ०सं० एस०टी०/एन०ओ०सी०/ 8952-59 /2015–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मण्डलायुक्त महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–सचिव (मा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ।
3–शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4–जिलाधिकारी, आगरा।
5–जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
6–निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7–प्रबन्धक, डी०पी०एस०, आगरा, ताल सेमरी, देवरी रोड, आगरा।
8–गार्ड फाइल।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव / सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा।